



# श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

**SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY**

A Central University established by an Act of Parliament  
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

## FORM - VI/ प्रपत्र-VI

(see Government of India's decision (1) below Rule 21)

(भारत सरकार का निर्णय देखें (1) नियम 21 के नीचे)

### APPLICATION FORM FOR AN ADVANCE FOR THE PURCHASE OF MOTOR CAR/ MOTOR CYCLE/SCOOTER/PERSONAL COMPUTER

मोटर कार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/निजी कंप्यूटर की खरीद के लिए  
अग्रिम आवेदन पत्र

1. Name of Applicant (IN BLOCK LETTERS):

आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :

2. Applicant's Designation :

आवेदक का पदनाम :

3. District and Station of the applicant:

आवेदक का जिला और स्टेशन :

4. Pay+DP of the applicant:

आवेदक का वेतन + डीपी :

Rs.

5. Special Personal Pay:

विशेष व्यक्तिगत वेतन

Rs.

6. Anticipated price of Motor Car/Motor  
Cycle/ Scooter/Personal Computer:

मोटर कार/मोटर की अनुमानित कीमत  
साइकिल/स्कूटर/पर्सनल कंप्यूटर

Rs.

7. Amount of Advance Required:

आवश्यक अग्रिम राशि

Rs.

8. Date of Superannuating or retirement or

date of Expiry of contract in case of a contract officer :

सेवानिवृत्ति की तिथि या अनुबंध अधिकारी  
के मामले में अनुबंध की समाप्ति की तिथि

DD

MM

YYYY

9. Number of Installments in which the

advance is desired to be repaid:

किश्तों की संख्या जिसमें अग्रिम  
चुकाया जाना वांछित है: अ

10. Whether advance for similar purpose

obtained previously, and if so.....

i Date of drawal of the advance:

DD

MM

YYYY

ii The amount of advance and/or

interest thereon still outstanding, if any:

क्या इसी तरह के उद्देश्य के लिए अग्रिम  
पूर्व में प्राप्त किया गया है, और यदि हां तो

i अग्रिम की तिथि या आहरण

ii अग्रिम की राशि और/या उस पर अभी भी

बकाया ब्याज, यदि कोई हो:

Rs.

Rs.

11. . Whether the intention is to purchase:

- (a) A new or old Motor Car/Motorcycle/Scooter  
Personal Computer:
- (b) If the intention is to purchase Motor Car/Motor cycle/Personal Computer form a person having official dealings with the Government servant, whether previous sanction of the competent authority has been obtained as required under Rule 18 (3) of the Central Civil Service (Conduct)

Rules, 1964:

क्या खरीदने का इरादा है:

- (ए) एक नई या पुरानी मोटर कार/मोटरसाइकिल  
स्कूटर निजी कंप्यूटर
- (बी) अगर मोटर कार/मोटर खरीदने का इरादा है  
साइकिल/पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसे व्यक्ति का  
निर्माण करता है जिसके पास सरकारी कर्मचारी के  
साथ आधिकारिक व्यवहार,  
क्या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति  
के तहत आवश्यक के रूप में प्राधिकरण प्राप्त किया गया है।  
केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) के नियम 18(3) नियम 1964

12. Whether the officer is on leave or is about to proceed on leave.....

- (a) The date of commencement of leave:

DD	MM	YYYY
----	----	------

- (b) The date of expiry of leave:

DD	MM	YYYY
----	----	------

अधिकारी छुट्टी पर है या छुट्टी पर जाने वाला है।

(ए) छुट्टी शुरू होने की तारीख

(बी )छुट्टी की समाप्ति की तिथि

13. Are any negotiations or preliminary enquiries being made, so that delivery may be taken of the Motor Car / Motor Cycle / Personal Computer within one month from the date of drawal of the advance?

क्या कोई बातचीत या प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है, ताकि अग्रिम के आहरण की तारीख से एक महीने के भीतर मोटर कार/मोटर साइकिल /पर्सनल कंप्यूटर की डिलीवरी ली जा सके?

14. (a) Certified that the information given above is complete and true

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सत्य है।

- (b) Certified that I have not taken delivery of the Motor Car / Motor Cycle / Personal Computer on account of which I apply for the advance, that I shall complete negotiations for the purchase, pay finally and take possession of the same before the expiry of one month from the date of drawal of the advance.

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मोटर कार/मोटर साइकिल/पर्सनल कंप्यूटर की सुपुर्दगी नहीं ली है जिसके लिए मैं अग्रिम के लिए आवेदन करता हूँ, कि मैं खरीद के लिए बातचीत पूरी करूंगा, अंत में भुगतान करूंगा और एक महीने की समाप्ति से पहले उसका कब्जा ले लूंगा अग्रिम के आहरण की तिथि से।

Dated:

दिनांक :

## 20.4.7 Personal Computer advance

### 20.4.7 निजी कंप्यूटर अग्रिम

#### Eligibility:

पात्रता :

Employees drawing pay including SI and NPA of Rs. 10,500/-

वेतन पाने वाले कर्मचारी के क्रमांक और एनपीए सहित रुपये 10,000 /—

#### Amount of Advance:

अग्रिम की राशि :

- i) On first occasion: Rs. 80,000/- or anticipated price of computer (excluding customs duty) whichever is less.

पहले अवसर पर रु. 80,000 /— या कम्प्यूटर की अनुमानित कीमत सीमा (शुल्क को छोड़कर) जो भी कम हो।

- ii) On second/subsequent Occasion: Rs. 75,000/- or anticipated price of computer (excluding duty) whichever is less.

दूसरे अवसर पर रु. 75,000 /— या कम्प्यूटर की अनुमानित कीमत सीमा (शुल्क को छोड़कर) जो भी कम हो।

#### Other Condition:

अन्य शर्त :

- a) Application should be made on the prescribed form (GFR-27).

आवेदन (जीएफआर-27) से निर्धारित पर किया जाना चाहिए।

- b) In case of temporary employees, a surety bond from a permanent employee having equal or higher status, is needed.

अस्थायी कर्मचारियों के मामले में, समान या उच्च स्थिति वाले स्थायी कर्मचारी से एक जमानत बांड की आवश्यकता होती है।

- c) A Second/Subsequent advance can be granted only after 3 years from the drawl of earlier one.

दूसरा/बाद का अग्रिम केवल पहले वाले के आहरण से 3 वर्ष के बाद ही दिया जा सकता है।

- d) The advance cannot be used for payment of customs duty.

अग्रिम का उपयोग सीमा शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।

- e) Computer purchased should be mortgaged to the government.

खरीदे गए कम्प्यूटर को सरकार के पास गिरवी रखा जाना चाहिए।

- f) Interest is charged at the rates prescribed as in case of advance for motor car.

मोटर कार के लिए अग्रिम के मामले में निर्धारित दरों पर ब्याज लगाया जाता है।

#### 20.4.8 House Building Advance

##### 20.4.8 मकान निर्माण अग्रिम

###### Purposes of advance:

अग्रिम के उद्देश्य :

- a) Acquiring a plot and constructing a house thereon.

एक भूखंड का अधिग्रहण और उस पर एक घर का निर्माण।

- b) Constructing a new house on a plot already owned singly or jointly with spouse.

पहले से ही अकेले या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले भूखंड पर एक नया घर बनाना।

- c) Getting a plot under cooperative schemes and building a house where title will vest in the official after the house is built.

सहकारी योजनाओं के तहत भूखंड प्राप्त करना और एक घर बनाना जहां मकान बनने के बाद अधिकार अधिकारी में निहित होगा।

- d) Enlarging living accommodation in a house owned by self or jointly with spouse.

स्वयं के स्वामित्व वाले या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से रहने वाले आवास का विस्तार करना।

- e) Constructing the residential portion alone in a shop cum residential plot in a residential colony.

एक आवासीय कॉलोनी में एक दुकान सह आवासीय भूखंड में अकेले आवासीय भाग का निर्माण।

- f) Purchase of a ready built house/flat from.

तैयार मकान/फ्लैट की खरीद।

**FORM GFR 24**  
**(See Rule 207)**  
**प्रपत्र जीएफआर 24**  
**(नियम 207 देखें)**

**FORM OF MORTGAGE BOND FOR MOTOR VEHICLE/PERSONAL COMPUTER- INITIAL  
ADVANCE.**

मोटर वाहन/व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए बंधक बांड का रूप-प्रारंभिक अग्रिम।

**THIS INDENTURE made this.....day of.....Two Thousand and .....BETWEEN.....(hereinafter called "the Borrower", which expression shall include his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the one part and the PRESIDENT of India (hereinafter called " the President", which expression shall include his successors and assigns) of the other part. WHEREAS the borrower has applied for and has been granted an advance of Rs...../- to purchase a Motor Vehicle/Personal Computer and/or to pay customs duty in respect of a (the ) Motor Vehicle on the terms of rules 199 to 211 of the General Financial Rules, 1963, of the Central Government (hereinafter referred to as " the said rules" which expression shall include any amendment thereof or addition thereto for the thing in force) AND WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has been /was granted to the borrower is/was that the Borrower will/would hypothecate the said Motor Vehicle/Personal Computer to the President as security for the amount lent to the borrower AND WHEREAS the borrower has purchased and/or paid customs duty with or partly with the amount so advanced as aforesaid the Motor Vehicle/Personal Computer particulars whereof are set out in the schedule hereunder written.**

इस अनुबंध ने ..... के बीच ..... के बीच इसे बनाया (इसके बाद कहा जाता है) "उधारकर्ता", जिसकी अभिव्यक्ति में एक हिस्से के उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे) और दूसरे हिस्से के भारत के राष्ट्रपति (बाद में "राष्ट्रपति" कहा जाएगा), जिसमें अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और असाइनर शामिल होंगे। जबकि उधारकर्ता ने मोटर वाहन/पर्सनल कंप्यूटर खरीदने और/या (द) मोटर वाहन के संबंध में सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए रु...../- के लिए आवेदन किया है और उसे अग्रिम दिया गया है। केंद्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 1963 के नियम 199 से 211 तक (बाद में "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति में उसका कोई संशोधन शामिल होगा या लागू होने वाली चीज़ के लिए जोड़ा जाएगा) और जबकि शर्तों में से एक जिस पर उधारकर्ता को उक्त अग्रिम दिया गया है/ दिया गया है/है कि उधारकर्ता उक्त मोटर वाहन/पर्सनल कंप्यूटर को उधारकर्ता को दी गई राशि के लिए सुरक्षा के रूप में राष्ट्रपति को दृष्टिबंधक करेगा/करेगा और जबकि उधारकर्ता ने खरीदा है और/ या मोटर वाहन/पर्सनल कंप्यूटर विवरण के साथ या आंशिक रूप से इतनी उन्नत राशि के साथ या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है, जिसका विवरण यहां नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है।

**NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the considerations aforesaid the Borrower doth hereby covenant to pay to the President the sum of Rs...../- aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by**

equal payments of Rs.....each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing calculated according to the said Rules and the Borrower doth agree that such payments may be recovered by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said Rules or where, in the event of his proceeding on deputation out of India for a period exceeding twelve months or of his being transferred to a post outside India, the competent authority has allowed repayment of the amount of advance remaining unpaid and /or interest as aforesaid on the happening of such an event, in Rupees in India, the Borrower doth hereby agree to pay to the President such dues by remittance through Bank Draft drawn by the 15<sup>th</sup> of every month in favour of the Accounts Officer in whose books the accounts of the aforesaid advance are kept, and in further pursuance of the said agreement the borrower doth hereby assign and transfer unto the President the Motor Vehicle/Personal Computer the particulars whereof are set out in the Schedule hereunto written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said Rules.

अब यह अनुबंध इस बात की गवाही देता है कि उक्त समझौते के अनुसरण में और उपरोक्त बातों के लिए ऋणी एतद्वारा राष्ट्रपति को उपरोक्त ...../- की राशि का भुगतान करने के लिए अनुबंधित करता है या इन उपहारों की तिथि पर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

प्रत्येक माह के पहले दिन रु..... का समान भुगतान और उक्त नियमों के अनुसार गणना की गई शेष राशि और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा और ऋणी सहमत है कि इस तरह के भुगतानों की वसूली की जा सकती है उक्त नियमों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से उनके वेतन से मासिक कटौती या जहां, बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने या भारत के बाहर किसी पद पर स्थानांतरित होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी ने पुनर्भुगतान की अनुमति दी है इस तरह की घटना के घटित होने पर बकाया अग्रिम और/या ब्याज की राशि का भुगतान भारत में रुपये में किया जाता है, ऋणी एतद्वारा राष्ट्रपति को इस तरह की बकाया राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हर महीने की 15 तारीख तक करने के लिए सहमत होता है। लेखा अधिकारी के पक्ष में, जिनकी पुस्तकों में पूर्वोक्त अग्रिम के खाते रखे जाते हैं, और उक्त समझौते के आगे अनुसरण में उधारकर्ता एतद्वारा राष्ट्रपति को मोटर सौंपता है और हस्तांतरित करता है। वाहन/पर्सनल कंप्यूटर जिनका विवरण उक्त अग्रिम के लिए सुरक्षा के रूप में लिखित अनुसूची में दिया गया है और उक्त नियमों द्वारा अपेक्षित उस पर ब्याज।

**And the borrower doth hereby agree and declare that he had paid in full the purchase price of the said Motor Vehicle/Personal Computer and/or the entire customs duty payable and that the same is his absolute property and that he has not pledged and so long as any money remain payable to the President in respect of the said advance will not sell, pledge or part with the property in possession of the said Motor Vehicle, PROVIDEDE ALWAYS and it is hereby agreed and declared that if any of the said installments of the principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the borrower shall die or at any time cease to be in Government service or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said Motor Vehicle/Personal Computer or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgment against the borrower the whole of the said principal sum which shall than be remaining due and unpaid together with interest thereon calculated as aforesaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY AGREED and declared that the President may on the happening of any of the events hereinbefore mentioned seize and take possession of the said Motor Vehicle and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said Motor Vehicle**

**either by public auction or private contract and may out of the sale moneys retain the balance of the said advance then remaining unpaid and any interest due thereon**

और उधारकर्ता एतद्वारा सहमत है और घोषणा करता है कि उसने उक्त मोटर वाहन/पर्सनल कंप्यूटर और/या देय संपूर्ण सीमा शुल्क का पूरा खरीद मूल्य चुका दिया है और यह उसकी पूर्ण संपत्ति है और उसने गिरवी नहीं रखी है और इतने लंबे समय तक चूंकि उक्त अग्रिम के संबंध में राष्ट्रपति को देय कोई भी धनराशि उक्त मोटर वाहन के कब्जे वाली संपत्ति को नहीं बेचेगी, गिरवी नहीं रखेगी या उसमें भाग नहीं लेगी, हमेशा प्रदान की जाती है और यह एतद्वारा सहमत और घोषित किया जाता है कि यदि उक्त किशतों में से कोई मूलधन या ब्याज का भुगतान या वसूली पूर्वोक्त तरीके से उसके देय होने के दस दिनों के भीतर नहीं किया जाएगा या यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है या किसी भी समय सरकारी सेवा में रहना बंद हो जाता है या यदि उधारकर्ता संपत्ति को बेच देगा या गिरवी रखेगा या उसके साथ भाग लेगा या उक्त मोटर वाहन/पर्सनल कंप्यूटर का कब्जा या दिवालिया हो जाना या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या व्यवस्था करना या यदि कोई व्यक्ति किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में फिर से कार्यवाही करेगा † उधारकर्ता को उक्त मूलधन की पूरी राशि, जो देय और अवैतनिक होने के साथ-साथ पूर्वोक्त रूप से गणना की गई ब्याज के साथ होगी, तुरंत देय हो जाएगी और यह एतद्वारा सहमत है और घोषित किया गया है कि राष्ट्रपति यहां ऊपर वर्णित किसी भी घटना के होने पर कर सकते हैं। उक्त मोटर वाहन को जब्त करना और अपने कब्जे में लेना और या तो उसे हटाए बिना उसके कब्जे में रहना या फिर उक्त मोटर वाहन को सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा हटा और बेच सकता है और बिक्री के पैसे उक्त अग्रिम की शेष राशि को बरकरार रख सकता है तो बकाया शेष और उस पर देय कोई ब्याज

**calculated as aforesaid and all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realizing his rights hereunder and shall pay over the surplus, if any to the Borrower, his executors, administrators or personal representatives PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of said Motor Vehicle shall not prejudice the right of the President, to sue the Borrower or his personal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of the Motor Vehicle being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing AND THE Borrower hereby further agrees that so long as any moneys are remaining due and owing to the President he will not permit or suffer the said Motor Vehicle to be destroyed or injured or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof AND further that in the event of any damage or accident happening to the said Motor Vehicle, the Borrower will forthwith have the same repaired and made good.**

उपरोक्त के रूप में गणना की गई है और सभी लागतों, शुल्कों, खर्चों और भुगतानों को उनके अधिकारों को बनाए रखने, बचाव या साकार करने में उचित रूप से खर्च किया गया है या ऋणी, उसके निष्पादकों, प्रशासकों या व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को अधिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा बशर्ते कि पूर्वोक्त उक्त मोटर वाहन को कब्जे में लेने या बेचने की शक्ति राष्ट्रपति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, बकाया राशि और ब्याज के लिए ऋणी या उसके निजी प्रतिनिधियों पर मुकदमा करने के लिए या मोटर वाहन के बेचे जाने की स्थिति में वह राशि जिसके द्वारा शुद्ध बिक्री की आय बकाया राशि से कम हो जाती है और उधारकर्ता एतद्वारा आगे सहमत होता है कि जब तक कोई भी धन देय है

और राष्ट्रपति के स्वामित्व में है, वह उक्त मोटर वाहन को नष्ट या घायल होने या अधिक से अधिक खराब होने की अनुमति नहीं देगा या पीड़ित नहीं होगा। उचित टूट-फूट से और इसके अलावा किसी भी क्षति या दुर्घटना के होने की स्थिति में यह डिग्री खराब हो जाएगी आईडी मोटर वाहन, ऋणी तुरंत उसी की मरम्मत करेगा और उसे अच्छा बना देगा।

THE SCHEDULE  
अनुसूची

Description of Motor Vehicle/Personal Computer

माटर वाहन/पर्सनल कंप्यूटर का विवरण

Maker's name

निर्माता का नाम

Description

विवरण

No. of Cylinders

सिलिंडरों की संख्या

Engine Number

इंजन संख्या

Chassis Number

चेसिस संख्या

Cost Price      Rs.

लागत मूल्य      रु.

IN WITNESS WHEREOF the Mortgagor/Borrower the hereunto set his hand and  
Shri.....In the Ministry of..... For and on behalf of  
the President of India has hereunto set his hand.

जिसके साक्ष्य में गिरवीकर्ता/उधारकर्ता ने अपना हाथ रखा और श्री .....  
मंत्रालय में .....भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से अपना हाथ  
रखा है।

Signed by the Said (Name and designation of the Borrower)

उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित (उधारकर्ता का नाम और पदनाम)

.....

in the presence of

की उपस्थिति में

1.....

2. ....

(Signature of Witnesses)

गवाहों के हस्ताक्षर

(Signature and designation of the  
Borrower)

(उधारकर्ता के हस्ताक्षर और पदनाम)

Signed by .....

हस्ताक्षर.....

(Name and designation)

( नाम और पदनाम)

.....

For and on behalf of the President of India In the presence of

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनकी उपस्थिति में

1.....

2.....

(Signature of Witnesses)

गवाहों के हस्ताक्षर

(Signature and designation of the Officer)

(अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)